प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 11.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 11.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 11.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत बेलाताल जैतपुर मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए...।

आज दिनांक 11.01.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत बेलाताल जैतपुर मेला क्षेत्र में दिनांक 14 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले मेले के दृष्टिगत स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

क्षेत्राधिकारी द्वारा मेले की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए दुकानों का नियमानुसार व्यवस्थापन, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, पुलिस सहायता केंद्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था तथा एम्बुलेंस/स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में गहनतापूर्वक निरीक्षण कर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, मेला आयोजकों एवं समस्त संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने निर्देशित किया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं/आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे, भीड़ प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं आयोजकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समय से समस्त तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी कुलपहाड़, चौकी प्रभारी, मेला आयोजकगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 11.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-11.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल मय हमराह उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी, हे0कां0 बृजेश तिवारी व कां0 आर्यन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त शैलेन्द्र राजपूत उर्फ शैलू पुत्र इन्द्रजीत राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चपका बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी बेलाताल
2.उ0नि0 रमेशकान्त त्रिपाठी 3.हे0कां0 बृजेश तिवारी 4. कां0 आर्यन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त –

शैलेन्द्र राजपूत उर्फ शैलू पुत्र इन्द्रजीत राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चपका बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 62/2024 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द, ध/3(2)5क SC/ST Act थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2.मु0अ0सं0 66/2024 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कुलपहाड जनपद महोबा
3.मु0अ0सं0 352/2024 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कुलपहाड जनपद महोबा
4.मु0अ0सं0 65/2025 धारा 13 जी एक्ट थाना कुलपहाड जनपद महोबा
5.मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा